न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1106–तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03–0:–2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 257/अ–6/2012–13/अपील

1– अजय सिंह पुत्र श्री दयाराम घोषी
2– विजय सिंह पुत्र श्री दयाराम घोषी
निवासीगण बैदउ तहसील जतारा
जिला टीकमगढ म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1 – रामवगस पुत्र जसरथ घोसी
2– महिला श्यामबाई बेबा छुटटे घोसी
निवासीगण बछोड़ तहसील जतारा
जिला टीकमगढ म0प्र0

–––अनावेदकगण

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक, अनावेदक क0–1
अनावेदक कमंक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित

....

आदेश
(आज दिनांक 21.12.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 257/अ–6/2012–13/अपील द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–02–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि रामबगस एवं झुटटे तनय जसरी घोसी निवासी बछौड के भूमिस्वामित्व की भूमि थी। झुटटे घोसी 50 वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे। झुटटे घोषी के स्वामित्व की 1/2 हिस्से की भूमि नामांतरण पंजी कमांक 118 पर पारित आदेश दिनांक 3.10.1972 द्वारा 99 रूपये के कथित विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण नायब तहसीलदार जतारा द्वारा स्वीकृत किया गया। नायब तहसीलदार जतारा के उक्त नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 3.10.1972 एवं नामांतरण पंजी कमांक 26 में पारित आदेश दिनांक 9.8.1995 के विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष दिनांक 5.7.2010 को प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा अपने अपील प्रकरण कमांक 601/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 15.12.12 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार जतारा द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 118 पर पारित आदेश दिनांक 9.10.1972 एवं नामांतरण पंजी कमांक 26 पर पारित आदेश दिनांक 9.8.1995 निरस्त किया गया, इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 3.2.14 को अपील निरस्त की गई इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगणों के पिता दयाराम घोषी ने 99/– रूपये में अपंजीकृत विकय पत्र से कय की थी और दिनांक 3.10.1972 को पंजी कमांक 118 पर उनका नाम नामांतरण हुआ और दयाराम घोसी मालिक हुये । दयराम घोसी के जीवनकाल में ओर झुटटे घोषी ने अपने जीवनकाल में उक्त विकय पत्र पर कभी कोई आपत्ति नहीं की एवं न ही उक्त नामांतरण पंजी पर कोई आपत्ति की बल्कि उसे वह मानते एवं स्वीकार करते चले आये हैं। लेकिन 40 वर्ष का बिलंव बिना किसी आधार के माफ करते हयु आलोच्य नामांतरण पंजी निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि केता एवं विकेता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। आवेदकगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान का नामांतरण भी नामांतरण पंजी कमांक 26 दिनांक 9.8.95 को हो चुका है। उक्त नामांतरण को भी 15 वर्ष का समय हो गया है। इतनी पुराने आदेश बिना किसी ठोस आधारा के अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा बिलंब माफ करते हुये

नामांतरण पंजी निरस्त की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। उनके द्वारा आगे तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश परित किया गया है उस दिनांक 15.12.12 को तीसरा शनिवार यानी अवकाश के दिनांक को आदेश पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक में कहीं भी धारा 5 के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है मात्र अपने आदेश में उल्लेख किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण के पक्ष में कभी कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है । अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि पर कुआं का निमार्ण कराया गया जब आवेदकगण द्वारा निर्माण मरम्मत का कार्य रोक दिया गया जब पता करने पर ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त भूमि का नामांतरण करा लिया गया है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर के नामांतरण कराया गया है जो अवैधानिक है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि नामांतरण कराते समय न तो मुनादी पिटाई गई और न ही इस्तहार का प्रकाशन कराया गया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा संलग्न प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामांतरण पंजी क्रमांक 26 दिनांक 9.8.95 पर धनीराम सेन एवं रतीराम काछी के हस्ताक्षर गवाह के रूप में है। पंजी क्रमांक 118 पर टीप अंकित की गई है कि इश्तहार की अवधि में कोई आपत्ति नहीं आई एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया केता का नामांतरण स्वीकृत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि नामांतरण पंजी पर किसी गवाहान के हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि धनीराम सेन एवं रतीराम काछी के हस्ताक्षर हैं। आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह भी बल मिलता है कि 40 वर्ष पश्चात नामांतरण बिना किसी ठोस आधार के नामांतरण निरस्त किया जावे। आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं कि जबकि उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आपत्ति की गई है वह मानने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा का प्रकरण कमांक 601/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 15.12.12 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण कमांक 257/अ–6/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 3.2.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नामांतरण पंजी कमांक 118 आदेश दिनांक 3.10.1972 एवं नामांतरण पंजी कमांक 26 आदेश दिनांक 9.8. 1995 स्थिर रखे जाते हैं। आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर